न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2023/02

मानमल आुय 50 वर्ष पुत्र श्री घांसी लाल जाति महाजन जैन निवासी तालेडा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. निधि पुत्री स्व0 श्री मदन सिंह जाति राजपूत निवासी खेडला तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
2. नन्दनी पुत्री स्व0 मदन सिंह जाति राजपूत निवासी खेडला तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री राजकुमार गौत्तम, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री कृष्ण दत्त दाधीच, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 14.02.2023

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.12.2022 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम खेडला तहसील तालेडा में खसरा नम्बर 87 रकबा 0.9551 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि में प्रार्थी का 1/9 हिस्सा निहित है । उक्त भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त परिवार की अविभाजित संयुक्त सम्पत्ति है जिसमें रिकॉर्ड के अनुसार प्रार्थीगण का 1/9 हिस्सा है । उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण जबरन ताकत के बल पर निर्माण कार्य करने पर आमादा हैं । अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे ।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 15.12.2022 के द्वारा अप्रार्थी अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही एकपक्षीय रूप से अपीलान्ट के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर दी ।

4. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.12.2022 से व्यथित होकर अप्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थी अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.12.2022 निरस्त फरमाया जावे ।

5. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गईं । रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 की आरे से विद्वान् अभिभाषक श्री कृष्णदत्त दाधीच ने अण्डरटेकिंग प्रस्तुत की है । प्रार्थी एवं रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक उपस्थित । उक्त अपील अंतरिम आदेश की होने से अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

6. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना प्रार्थी रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय बहस सुनकर अपीलान्ट के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है । वादग्रस्त आराजी संयुक्त परिवार की अविभाजित संयुक्त सम्पत्ति है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 15.12.2017 को एकपक्षीय अंतरिम स्थगन आदेश जारी किया है और उसमें दिनांक 17.01.2023 की तारीख नियत की गई है जो कि 01 माह से अधिक की है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.12.2022 निरस्त फरमाया जावे । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को समयबद्ध रूप से निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित किया जावे तो भी उन्हें कोई आपत्ति नहीं है ।

7. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 की ओर से अंडरटेकिंग प्रस्तुत की है । वे प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में बहस हेतु तैयार रहे हैं तथा प्रकरण को समयबद्ध रूप से निस्तारण करने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने में अनापत्ति व्यक्त की ।

8. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम खेडला तहसील तालेडा में खसरा नम्बर 87 रकबा 0.9551 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि में प्रार्थी का 1/9 हिस्सा निहित है । उक्त भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त परिवार की अविभाजित संयुक्त सम्पत्ति है जिसमें रिकॉर्ड के अनुसार प्रार्थीगण का 1/9 हिस्सा है । अप्रार्थी जबरन ताकत के बल पर वादग्रस्त आराजी पर निर्माण कार्य करने पर आमादा हैं । अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने

आदेश दिनांक 15.12.2022 को एकपक्षीय अंतरिम स्थगन आदेश जारी किया है और उसमें दिनांक 17.01.2023 की तारीख नियत की गई है जो कि 01 माह से अधिक की है । इस प्रकार परीक्षण न्यायालय के द्वारा आदेश 39 नियम 3 (ए) सीपीसी की पालना नहीं की गई है । प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी एवं रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषकगण ने समयबद्ध निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने में अनापित्त व्यक्त की है । ऐसी स्थिति में हम प्रस्तुत प्रकरण को समयबद्ध रूप से निस्तारण करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

9. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । आदेश दिनांक 15.12.2022 अंतरिम आदेश है । इस आदेश में प्रस्तुत प्रकरण में वर्तमान स्टेज पर किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । उभयपक्ष शीघ्र सुनवाई कर प्रार्थना पत्र का निस्तारण चाहते हैं । अतः प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए समयबद्ध रूप से यथाशीघ्र अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र का अंतिम रूप से निस्तारण करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 13.03.2023 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

10. निर्णय आज दिनांक 14.02.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा